



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष 0551-2580010

वेबसाइट: www.gidagkp.in

फैक्स : (0551) 2580020

ई-मेल: ceogida-up@up.gov.in



पत्रांक

/सम्पत्ति-9/वि0औ0यो0-2021/

2021-2022 दिनांक 19 जुलाई, 2021

गीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भीटी रावत, सेक्टर-26 में औद्योगिक भूखण्ड योजना-2021 लाई गयी है, जिसमें आवेदकों/उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। योजना में आवेदकों/ उद्यमियों द्वारा आवेदन पूर्णतया ऑनलाईन किया जायेगा। आवेदन प्रपत्रों का शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क भी ऑनलाईन ही जमा किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन करने की दिनांक 20.07.2021 से 10.08.2021 तक निर्धारित है।

योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

1	भूखण्ड संख्या सी-4, सेक्टर-26, क्षेत्रफल-3996.35 वर्गमीटर,
2	भूखण्ड संख्या ए-3, सेक्टर-26, क्षेत्रफल-22288.65 वर्गमीटर
3	भूखण्ड संख्या ए-4, सेक्टर-26, क्षेत्रफल-22288.65 वर्गमीटर
4	भूखण्ड संख्या बी-12, सेक्टर-26, क्षेत्रफल-12678.79 वर्गमीटर

योजना में प्रस्तावित भूखण्डों के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु निम्नानुसार आवंटन दरें निर्धारित की गयी हैं -

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)
01	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	रु० 6000.00
02	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	रु० 5600.00
03	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	रु० 5200.00
04	80001 वर्ग मीटर से ऊपर प्रति वर्ग मीटर तक	रु० 4800.00

(उल्लिखित भूखण्डों की अवस्थिति के अनुसार अवस्थिति शुल्क योजना में निर्धारित दरों के अनुसार पृथक से देय होगी।)

महत्वपूर्ण :- आवंटन तिथि पर लागू आवंटन की दर पर ही आवंटन किया जायेगा।

गीडा द्वारा आन लाईन प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण, परीक्षण-समिति द्वारा किया जायेगा। परीक्षण समिति के द्वारा पात्र पाये गये आवेदकों (व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/कम्पनी) गीडा आवंटन नियमावली के अनुसार भूखण्डों का आवंटन प्रपत्रों के परीक्षण एवं साक्षात्कार समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में गीडा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। प्रस्तावित माप के भूखण्ड की संख्या व क्षेत्रफल घट व बढ़ सकती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवंटन के पूर्व या पश्चात किसी नियम व आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।

औद्योगिक योजना के नियम व शर्तें तथा अन्य विवरण गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.in पर देखा जा सकता है। केवल उक्त वेबसाइट के माध्यम से ही सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित अपलोडेड प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पत्रांक 1261/उपरोक्त/तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभारी, जन सम्पर्क, गीडा को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
- 2- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।